मुद्रक - आरती प्रिन्टिंग प्रेस सिकराय

फर्द अहकाम

(नियम (26))

अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी....... सिकराय ...(दौसा)...

कमलादेवी सरकार बनाम ....शांति देवी वगैरह....

किस्म मुकदमा ....88/188 RTA...... मु० नं० ....45/2021....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5.1.22	पत्रावली निर्णय हेतु पेश। वाद के तथ्यों व उपाय पत्र की बहस पर गौर किया गया। वाद अनुसार वादीया ग्राम कैलाई के खाता सं. 18/14 के ख.नं. 347/111 रकबा 3.19 की खातेदारी भू-प्रबंध के समय रही है। भू-प्रबंध कार्यवाही पश्चात वादीया का खाता सं. 20/18 (सं. 2073-76) के ख.नं. 569/.29है, 569/1853 (.10 है), 570/.19है व 574/.42है कुल रकबा 1.00है दर्ज रिकार्ड है। वादीया भू-प्रबंध कार्यवाही से पूर्व नक्शा अनुसार व तहसीलदार सिकराय द्वारा दि. 23.6.2006 को की गयी पत्थरगढी अनुसार नक्शा तरमीम दुरुस्ती चाहती है। वाद अनुसार भू-प्रबंध विभाग द्वारा प्रति. सं. 1 शांतिदेवी के साबिक ख.नं. 111/1 डाबिका के हाल ख.नं. 571/.06है कायम करते हुये नक्शा तरमीम वादीया के कब्जे काश्त भूमि में दर्शा दी है, जिसे वो दुरुस्त करवाना चाहती है। प्रतिवादीया बावजूद नोटिस तामील हाजिर नहीं आने के कारण दि. 10.8.21 को उसके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। भू-प्रबंध पूर्व व पश्चात के वादीया के नक्शा तरमीम में अन्तर स्पष्टतः प्रमाणित होता है। अतः उपतहसीलदार सिकंदरा को आदेशित किया जाता है कि वादीया की नक्शा तरमीम की दुरुस्ती, भू-प्रबंध से पूर्व नक्शा व तहसीलदार द्वारा की दि. 23.6.2006 की पत्थरगढी अनुसार की जावे। निर्णय अनुसार डिक्री व तहरीर जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो। (रणजीत सिंह) 5.1.22 उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	